छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
----000----

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31मार्च, 2023

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.1 में वर्णित तालिका में नवीन प्रविष्ठि अनुक्रमांक–28 पर समावेश करते हुये नीति के परिशिष्ट–6.28 पर **"छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2019"** को समाविष्ट कर लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2028 तक की कालावधि के लिए लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च, 2023
प्रतिलिपि :–

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन ....विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
4. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
4. **अपर संचालक,**एस.आई.पी.बी. भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
5. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
   समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति

2023—28

''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़''

समावेशी विकास, आत्म निर्भर एवं निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023–28

राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023–28 लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से पांच वर्ष अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2028 तक के लिए प्रभावशील होगी ।

(1) प्रस्तावना (Introduction) :–

राज्य की कुल आबादी में से लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है। किसी भी राष्ट्र/राज्य के आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त किए जाने के लिए पृथक से प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2023 को की गई घोषणा के संदर्भ में इस नीति का प्रारूप तैयार किया गया है ।

राज्य की अर्थव्यवस्था में मातृशक्ति की उद्यमिता सर्वविदित है । इसे रेखांकित किए जाने तथा समाज में इसके महत्व को अधिक स्वीकार्यता प्रदान किये जाने के लिए इस नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं । वर्तमान में औद्योगिक/उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, अतः राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनकी कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग हो, इस हेतु राज्य शासन की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन व समर्थन प्रदान किया जावे।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप हेतु छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023–28 लागू की जा रही है।

(2) उद्देश्य (Objective) :–

2.1 प्रचलित औद्योगिक नीति 2019–24 के उद्देश्य "महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण" का क्रियान्वयन किये जाने हेतु।

2.2 महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन करना ताकि महिलायें स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें।

2.3 राज्य की महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करना।

2.4 महिला श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करना।

2.5 कृषि संबंधी सहायक उद्योग/व्यवसाय, कुटीर उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(3) रणनीति (Strategy) :–

3.1 इस नीति के अंतर्गत राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन इस नीति के माध्यम से दिये जायेंगे, जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त उद्यमिता में सुगमता के लिए राज्य के सभी विभागों में उद्यमिता के लिए शासकीय नियमों एवं प्रावधानों में आवश्यक निर्बाधन किया जायेगा।

3.2 राज्य के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना की जावेगी, जहां राज्य में संचालित योजनाओं की जानकारी सुलभ करायी जायेगी ।

3.3 विभाग के पोर्टल में महिला उद्यमिता से संबंधित सभी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जानकारी एक स्थान पर सिंगल विण्डो सिस्टम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । सिंगल विण्डो में प्रत्येक प्रकरण का पंजीकरण कर उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आईडी) प्रदान किया जायेगा, जो कि प्रकरण के अनुसरण में संदर्भ हेतु प्रत्येक विभाग में उपयोग में लाया जायेगा। साथ ही प्रत्येक प्रकरण के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी, जो महिला उद्यमियों को जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे।

3.4 नीति के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग होगा। नीति के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय तथा जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा।

3.4 महिलाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा।

3.5 महिला द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु प्रभावशाली तंत्र का विकास व अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा।

(4) पात्रता एवं क्रियान्वयन

4.1 राज्य में महिला उद्यमिता नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस नीति के अंतर्गत महिलाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र नवीन विनिर्माण/सेवा उद्यम की स्थापना, विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं शवलीकरण में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन अर्थात् अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी। इस हेतु आवेदन के प्रारूप, प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रावधान औद्योगिक नीति 2019–24 के अधीन जारी अधिसूचनाओं में वर्णित अनुसार होंगे। इस नीति का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा इसके अधिनस्थ उद्योग संचालनालय, सीएसआईडीसी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों एवं यथाआवश्यकता अन्य नामांकित एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा ।

4.2 राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित पात्र औद्योगिक/सेवा गतिविधियों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023–28 में वर्णित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं हेतु पात्र **विनिर्माण उद्यम की सूची परिशिष्ट – 1** पर एवं **सेवा/व्यवसाय उद्यम/गतिविधियों की सूची परिशिष्ट – 2** पर तथा इस नीति के अंतर्गत **मंडी शुल्क छूट हेतु अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट–3** पर संलग्न है।

4.3 औद्योगिक नीति 2019–24 के लिए अपात्र माने गए उद्योगों/सेवा उद्यमों तथा एल्कोहल, डिस्टलरी आधारित ब्रेवरेजेस को इस नीति के अंतर्गत भी अपात्र माना जायेगा ।

(5) परिभाषाएं एवं अन्य प्रावधानः–

1. महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकरण हेतु पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत पात्रता हेतु "महिला उद्यमी" मान्य किये जाने हेतु निम्नांकित शर्त की पूर्ति आवश्यक होगी –
   - 1.1) एकल स्वामित्व के प्रकरणों में महिला स्वामित्व ।
   - 1.2) भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला भागीदारी।
   - 1.3) भारतीय कंपनी अधिनियम/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला अंशधारिता।
   - 1.4) सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला सदस्य ।
   - 1.5) सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला सदस्य।
   - 1.6) शत–प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित स्व–सहायता समूह एवं एफपीओ।
2. महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी, अर्थात् अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 70 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत राज्य के निवासियों को संपूर्ण आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने की अवधि एवं इसके उपरान्त 5 वर्ष तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाना आवश्यक होगा तथा कुल रोजगार का न्यूनतम 60 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. महिला उद्यमियों द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि/शेड–भवन किराये पर लिये जाने की स्थिति में किराये की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष (व्यवसाय उद्यम हेतु 05 वर्ष) का किराया अनुबंध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

4. इस नीति के संदर्भ में उक्त परिभाषित बिंदुओं को छोडकर अन्य सभी परिभाषाएं यथा–आवश्यकता औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुरूप ही मान्य होंगी ।

(6) वित्तीय (ऋण) सहायता :–

6.1 महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र उद्यमों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के माध्यम से विभाग द्वारा वित्तीय सहायता (ऋण) उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस नीति के अंर्तगत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता (ऋण) की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :–

1	विनिर्माण उद्यम	रू. 50.00 लाख
2	सेवा उद्यम	रू. 25.00 लाख
3	व्यवसाय उद्यम	रू. 10.00 लाख

(परियोजना लागत में भूमि की राशि, भूमि/दुकान का किराया सम्मिलित नहीं किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत राशि के अधिकतम 20 प्रतिशत तक की राशि मान्य की जा सकेगी।)

6.2 गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की सहायता :–

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र उद्यमों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता हेतु राज्य शासन द्वारा सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जावेगा, जो ऋण स्वीकृति दिनांक से आगामी 5 वर्षों के लिए होगी।

6.3 इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्थापित होने वाले उद्यमों को अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन कंडिका (7) के अनुसार देय होगा।

(7) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन :–

(7.1) ब्याज अनुदान :–

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों के लिए प्राप्त किये गये सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा : –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र क श्रेणी	सामान्य उद्यम			प्राथमिकता उद्यम			उच्च प्राथमिकता उद्यम		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	अ	5	45	15	6	55	20	7	55	25
	ब	6	50	20	7	55	25	8	55	30
	स	7	60	30	8	65	35	9	65	40
	द	8	70	35	10	70	45	11	70	50
मध्यम उद्यम	अ	5	30	25	5	40	35	6	40	40
	ब	5	35	35	5	45	45	7	45	50
	स	7	55	45	8	60	55	9	60	55
	द	8	65	45	10	70	55	11	70	60

(7.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान देय होगा –

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्यम		प्राथमिकता उद्यम		उच्च प्राथमिकता उद्यम	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	अ	40	40	45	65	50	70
	ब	40	45	45	70	50	75
	स	40	65	45	85	50	95
	द	50	75	45	95	50	100
मध्यम उद्यम	अ	35	65	40	75	45	85
	ब	35	75	45	85	50	95
	स	40	85	50	110	50	115
	द	45	100	50	110	55	120

(टीपः– पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार बिंदु कमांक 7.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा बिंदु कमांक 7.3 अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेतु लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।)

(7.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :–

(केवल महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों हेतु)

क्षेत्र	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
श्रेणी–अ	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी–ब	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी–स	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 13 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी–द	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 13 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 16 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 110 प्रतिशत

<u>टीप</u> :– इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षो में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट जीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(7.4) विद्युत शुल्क छूट :–

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को केवल पात्र नवीन उद्यम को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी:–

क्षेत्र	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
श्रेणी–अ	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–ब	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–स	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी–द	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

(7.5) स्टाम्प शुल्क से छूट –

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :–

(अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

(7.6) मंडी शुल्क से छूट –

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले **नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण (केवल विनिर्माण) इकाइयों को** राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम **कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये** कृषि उत्पादों (परिशिष्ट–3 में वर्णित अपात्र उद्यमों को छोड़कर) पर लगने वाले **मंडी शुल्क से पूर्ण छूट**, अधिकतम राशि ₹ 2.50 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये **स्थायी पूंजी निवेश के 75%** से अधिक नहीं होगी।

(7.7) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को उद्योग स्थापना हेतु तैयार कराये गये परियोजना प्रतिवदेन पर (उद्योग स्थापना उपरांत) किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, स्थायी पूजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम राशि ₹ 3.00 लाख।

(7.8) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम ₹ 6.00 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

(7.9) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित एवं संचालित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 65 प्रतिशत राशि अधिकतम ₹ 12.00 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(7.10) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान –

महिलाओं द्वारा राज्य में स्थापित एवं संचालित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों की श्रेणी में (संतृप्त श्रेणी के उद्यमों को छोड़कर) इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 65 प्रतिशत अधिकतम ₹ 12.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

(7.11) मार्जिन मनी अनुदान –

(अ) राज्य के महिलाओं द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में ₹ 5 करोड़ के पूंजीगत लागत की सीमा तक के नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 75.00 लाख तक होगी।

(ब) राज्य के महिलाओं द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में ₹ 2 करोड़ के पूंजीगत लागत की सीमा तक के नवीन सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5.00 लाख तक होगी।

(7.12) दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नवीन एवं विद्यमान पात्र विनिर्माण/सेवा उद्यमों को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 55 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रूपये 6.00 लाख वार्षिक की सीमा तक की जावेगी।

(7.13) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)–

13.1 महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

13.2 महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

(7.14) परिवहन अनुदान –

नीति की अवधि में महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा राज्य में स्थापित इकाईयों में निर्मित उत्पादों **(खदान सामग्री छोडकर निर्यात उन्मुख उद्यमों हेतु)** के विपणन हेतु परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा राशि रूपये 25 लाख प्रतिवर्ष, अधिकतम 07 वर्ष तक होगी। परिवहन व्यय की गणना निम्नानुसार होगीः–

1– निर्यात की स्थिति में – इकाईयों में निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए निर्माण स्थान से पोर्ट तक, परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के अधिकतम मान्य सीमा तक अथवा वास्तविक व्यय, जो कम हो, सहायता प्रदान की जायेगी।

2– अंर्तराज्यीय विक्रय की स्थिति में– इकाईयों में निर्मित उत्पादों का विक्रय राज्य के बाहर करने के लिए, निर्माण स्थान से उस राज्य के गंतव्य स्थान तक, परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के अधिकतम मान्य सीमा तक अथवा वास्तविक व्यय, जो कम हो, सहायता प्रदान की जायेगी।

(7.15) औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/ रियायत –

नीति की अवधि में महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को उद्यम स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आबंटित की जाने वाली भूमि पर भू–प्रब्याजी में निम्नानुसार छूट/रियायत प्रदान की जावेगीः–

विकासखण्डों की श्रेणी	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
अ	10 प्रतिशत	40 प्रतिशत	50 प्रतिशत
ब	15 प्रतिशत	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
स	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
द	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत	80 प्रतिशत

(7.16) ईपीएफ, ईएसआई अंशदान में छूट :–

महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में कार्यरत् महिला कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआई में जमा अंशदान का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष तक होगी।

(7.17) किराया अनुदान :–

1. महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्ट–अप इकाइयों को इन्क्यूबेशन दिनांक से 3 वर्ष तक इन्क्यूबेशन सेंटर में लिए जाने वाले शुल्क/किराया में 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रूपये 96000/– वार्षिक अनुदान प्रदान की जायेगी।
2. महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्ट–अप इकाइयों को उत्पादन/गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 3 वर्ष तक किराये के भवन में इकाई स्थापित करने की दशा में भुगतान किए गए मासिक किराये का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 96000/– वार्षिक अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

(7.18) उत्पाद पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग उन्नयन सहायता :–

महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके उद्यम में निर्माण किये जा रहे उत्पादों के आकर्षक पैकेजिंग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से लिये जाने वाले परामर्श हेतु देय शुल्क में 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रूपये 75000/– वार्षिक अनुदान 5 वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त के साथ ही इस नीति के अंर्तगत महिला उद्यमियों को उनके उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित पैकेजिंग, उत्पादों की एवं ब्रांडिग हेतु करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से स्तर उन्नयन हेतु सलाह उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावेंगे।

(7.19) महिला स्व–सहायता समूहों को विशेष अनुदान :–

राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों महिला समूहों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा इनके सशक्तिकरण को विशेष रुप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्व–सहायता समूहों (SHG's) द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रुप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में 01 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जावेगी।

व्यवसाय के मामलों में राज्य शासन के अन्य विभागों से समन्वय कर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें एवं इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे ऋणों के लिये ऋण की गांरटी एवं मार्जिन मनी सहायता हेतु प्रावधान किये जाने के प्रयास किये जायेगें।

(7.20) **महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को विशेष सहायता :–**

इस नीति के अंर्तगत महिलाओं द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019–24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी।

8. गैर वित्तीय सुविधाएं :–

8.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बी2बी चर्चाओं पर महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.2 महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों में आवश्यकतानुसार कुशल एवं अकुशल रोजगार की मांग करने पर कौशल विकास केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

8.3 राज्य में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शनियों में महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप के लिए 25 प्रतिशत स्टाल आरक्षित रखा जावेगा तथा स्टाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

8.4 महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निविदा की प्रक्रिया में जमा करवाये जाने वाले EMD (Earnest Money Deposite) की राशि में शत् प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी।

8.5 महिला उद्यमियों द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु उद्यम/सेवा उद्यम, ग्रामोद्योग/कुटीर उद्यम की स्थापना के संबंध में महिलाओं के प्रकरणों में 10,000 वर्गफुट तक के उद्यम स्थल संबंधी प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु की शर्त से छूट प्रदान किये जाने हेतु संबंधित नियमों में यथोचित संशोधन किया जायेगा ।

8.6 महिला उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा संचालित इन्क्यूबेशन सेंटर में आवश्यकतानुसार इन्क्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

9. नीति का प्रशासकीय नियंत्रण –

(अ) उपरोक्त नीति के प्रभावी कियान्वयन हेतु यथावश्यक अतिरिक्त प्रावधान समावेश/विलोपन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा ।

(ब) उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु सभी प्रकार के दिशा–निर्देश, कियान्वयन नियम, मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

भुवनेश यादव
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28 के अंतर्गत

मान्य विनिर्माण गतिविधियों की सूची

1. चमड़े के उत्पाद
2. मोल्डिंग (इसमें कंघी, छाता, फ्रेम, प्लास्टिक के खिलौने आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं)
3. प्राकृतिक सुगंध और स्वाद
4. ऊर्जा कुशल पंप
5. फर्नीचर और लकड़ी के उत्पाद
6. साइकिल के पुर्जे
7. रबर उत्पाद
8. ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स– जिसमें हॉर्न बटन, डोर चौनल, वाइपर ब्लेड कंपोनेंट, बैटरी सेल टेस्टर शामिल हैं
9. कठोर धातु के बर्तन
10. ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उत्पाद
11. ट्रांसपोर्ट उपकरण को छोड़कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग– इसमें स्टील की अलमारी , कॉक और वॉल्व, वायर कटर आदि शामिल हैं
12. अभियांत्रिकी एवं निर्माण
13. चीनी मिट्टी और कांच के उत्पादों में छत की टाइलें, कांच के फर्श की टाइलें, ग्रेनाइट आदि शामिल हैं
14. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण
15. पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व
16. एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री और आयुर्वेदिक उत्पाद
17. खादी उत्पाद और होजरी उत्पाद
18. कागज से बनी छपाई और अन्य उत्पाद
19. क्वायर उद्योग
20. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य गतिविधि।

नोट :–

केन्द्र एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी को इस नीति में उल्लेखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहनों के लिये नियमानुसार पात्रता होगी। समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक अंतर की अनुदान/छूट हेतु पात्र होंगे।

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28 के अंर्तगत मान्य सेवा/ व्यवसाय उद्यम गतिविधियों की सूची

1. कम्प्यूटर/मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर
2. विभिन्न इलेक्ट्रानिक एवं आईटी/ आईटीईएस उत्पादों का व्यवसाय एवं सर्विसिंग सेंटर
3. झूलाघर
4. ब्यूटीपार्लर एवं स्पा सेवाएं
5. महिलाओं द्वारा संचालित रेस्टोरेट/टिफिन सर्विस, ढाबा एवं बेकरी हाउस
6. फोटो कॉपी सेंटर /साइबर कैफे/डेस्कटॉप सर्विसेस (Desktop Publising & Printing Center)
7. लेडिस टेलरिंग शॉप एवं प्रशिक्षण संस्थान
8. कोचिंग इंस्टीट्यूट
9. महिलाओं द्वारा संचालित ई–रिक्शा
10. लॉन्ड्री एवं ड्रायक्लिनर्स सर्विसेस
11. बुटीक /सिलाई/कढ़ाई/हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र एवं सेवाएं
12. सेक्योरिटी गार्ड सर्विसेस
13. कॉल सेंटर
14. उद्योगो के लिए संचालित टेस्टिंग लैब
15. फोटो स्टूडियों एवं फिल्म एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर
16. केबल टी.वी. सर्विस प्रोवाइडर
17. ग्रामोद्योग एवं हैडीक्राफ्ट से संबंधित गतिविधियां जैसे स्पीनिंग, विविंग आदि
18. प्रिंटिंग प्रेस
19. प्लेसमेंट एवं मैनेजमेंट सर्विसेस
20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी
21. टेंट एवं केटरिंग सर्विसेस
22. महिलाओं के लिए संचालित जिम, योग केंद्र संबंधित गतिविधियां
23. संगीत/कला प्रशिक्षण केंद्र
24. कूरियर सर्विस
25. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण केंद्र
26. पैथालॉजी लैब
27. एडवरटाइजिंग एजेंसी
28. उपकरण रेंटल और लीजिंग
29. कृषि/फार्म उपकरण की सर्विसिंग यथा– ट्रैक्टर, पंप रिपेयरिंग, रिंग बोरिंग मशीन आदि सेवाएं
30. कम्प्यूटरीकृत डाटा से संबंधित बैक ऑफिस ऑपरेशन
31. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सुरक्षा
32. स्टेशनरी विक्रय
33. आईटी समाधान प्रदाता सेवाओं में एक सर्वर बैंक बनाना, एप्लिकेशन सेवा प्रदाता, स्मार्ट कार्ड अनुकूलन, सेवा प्रदाता आदि शामिल हैं
34. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य गतिविधि।

नोट :–

केन्द्र एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी को इस नीति में उल्लेखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहनों के लिये नियमानुसार पात्रता होगी। समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक अंतर की अनुदान/छूट हेतु पात्र होंगे।

परिशिष्ट – 3

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28 के अंतर्गत मंडी शुल्क से छूट हेतु

अपात्र उद्योगों की सूची

1. राईस मिल
2. पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग
3. मुरमुरा
4. हालर मिल
5. पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना
6. मिनरल वाटर
7. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स
8. एल्कोहल ड्रिंक
9. भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम
10. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
11. खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई / रिफाईनरी)
12. ऐसे उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीपः– अपात्र उद्योगों की उक्त सूची के सरल क्रमांक 1, 2, 3 (केवल मुरमुरा), 4, 10 एवं 11 में अंकित उद्योग राईस मिल, पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग, मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई / रिफाईरी) को राज्य के औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) व परिशिष्ट–7 (द) के लिए पात्र उद्योग माना जायेगा।